

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी, चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2019 (रसद)  
पंजीयन दिनांक 26.07.2019

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, बेगूं (चित्तौड़गढ़)

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री मुकेश कुमार निवासी भीलवाड़ा C/O श्री नंदकिशोर सोनी दीपिका ज्वेलर्स,  
गांधी चौक, चित्तौड़गढ़
- 2-श्री नंदकिशोर सोनी C/O दीपिका ज्वेलर्स, गांधी चौक, चित्तौड़गढ़

-विपक्षीगण

कार्यवाही:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा  
6-ए सपटित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का  
विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।




उपस्थिति : 1-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2019 को प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के नेतृत्व में गुलशन वाटिका, पुलिस लाईन के पास, चित्तौड़गढ़ में मौके पर पहुंच जांच की गई तो, गुलशन वाटिका के परिसर में पीछे बने हुए कमरे में घरेलू गैस सिलेण्डर होना पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों से मिठाईयां आदि पकवान व्यवसायिक उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे थे। मौके पर कुल 20 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के अवैध भण्डारण होना पाए गए। मौके पर कार्य कर रहे ठेकेदार श्री मुकेश से पूछताछ करने पर एवं गैस सिलेण्डर भण्डारण संबंधी दस्तावेज मांगने पर मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये व न ही उक्त गैस सिलेण्डरों से संबंधित दस्तावेज उनके पास होना बताया। मौके पर गायत्री गैस एजेन्सी चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि को

  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़



बुलाकर गैस सिलेण्डरों को तुलवाकर तलपट्टी तैयार की गई तो उक्त 20 घरेलू सिलेण्डरों में कुल 190 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से एल. पी. जी. गैस से भरे हुए 20 गैस सिलेण्डर मय गैस मात्रा 190.00 कि. ग्रा. जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना-पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 17.04.2019 को शिकायत के आधार पर गुलशन वाटिका में निरीक्षण करने पर विपक्षीगण के कब्जे में घरेलू गैस के 20 सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर उनसे मिठाईयां व पकवान आदि व्यवसायिक उपयोग हेतु तैयार किए जा रहे थे इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गुलशन वाटिका का निरीक्षण करने पर वाटिका के परिसर में बने पीछे कमरे में घरेलू श्रेणी के 20 गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों से मिठाईयां व पकवान आदि व्यवसायिक उपयोग हेतु तैयार करना पाए गए एवं मौके पर उपस्थित विपक्षीगण से उक्त गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण द्वारा



जिला कलेक्टर  
बिकानेर




गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 20 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 190.00 कि. ग्रा. गैस राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 20 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 190.00 कि. ग्रा. गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



  
(चेतन देवड़ा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

